



## सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति

### प्रलिस के लयः

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मेडकल टर्मनलशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) एक्ट, 1971, भारत में गर्भपात कानून, प्रजनन अधिकार, शांतललल शाह समतल

### मेन्स के लयः

भारत में गर्भपात से संबंघतल कानूनी प्रावधान, महिलाओं से संबंघतल प्रमुख मुददे

[स्रोतः इंडयलन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

ववलहेतर गर्भावस्था, वशलष रूप से यौन उत्पीडन के मामले को हानकलरक और तनाव का कारण मानते हुए [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने गुजरात की एक बलात्कार पीड़लता को **27 सप्ताह के गर्भ** को समाप्त करने की अनुमतल दी ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने **गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारज कर दलया** जसमें उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दलया गया था, साथ ही अस्पताल को बना कसल वलंब के प्रक्रयल को पूरा करने का नरददेश दलया था ।
- **मेडकल टर्मनलशन ऑफ प्रेगनेंसी (Medical Termination of Pregnancy- MTP) संशोधन अधनलयम, 2021** के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की अधिकतम सीमा 24 सप्ताह है ।

### भारत में गर्भपात से संबंघतल कानूनी प्रावधानः

- **1960 के दशक तक भारत में गर्भपात** प्रतलबलधतल था और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहतल की धारा 312 के तहत कारावास की सजा या जुर्माना लगाया जाता था ।
  - 1960 के दशक के मध्य में गर्भपात नलयमों की जाँच के लयल **शांतललल शाह समतल** की स्थापना की गई थी ।
  - इसके नषकरषों के आधार पर मेडकल टर्मनलशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) एक्ट, 1971 अधनलयमतल कयल गया, जससे सुरकषतल और कानूनी गर्भपात की अनुमतल मिली, महिलाओं के स्वास्थ्य की रकषा की गई, इससे मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई ।
- **MTP अधनलयम, 1971** महिला की सहमतल से और पंजीकृत चकलतलसक (RMP) की सलाह पर गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमतल देता है । हालाँक वरष 2002 और 2021 में कानून को अद्यतन कयल गया ।
  - वरष 2021 का संशोधन बलात्कार जैसे वशलषलट मामले में दो चकलतलसकों की मंजूरी के साथ गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमतल देता है ।
    - यह राज्य स्तरीय मेडकल बोर्ड का गठन करता है जो यह तय करता है कभिरून में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त कयल जा सकता है या नहीं ।
  - यह गर्भनरशोधक प्रावधानों की वफलता को अववलहतल महिलाओं (शुरुआत में केवल ववलहतल महिलाओं) तक बढ़ाता है, चाहे उनकी ववालहकल स्थतल कूछ भी हो, उन्हें चयन के आधार पर गर्भपात सेवाएँ लेने की अनुमतल देता है ।
    - उमर और मानसकल स्थतल के आधार पर सहमतल की आवश्यकताएँ भनन हो सकती हैं, जससे चकलतलसक की नगरलनी में सुनशलचतल कयल जाता है ।

# The MTP Act 1971 and The MTP Act Amendments 2021

	MTP Act 1971	The MTP Amendment Act 2021
Indications (Contraceptive failure)	Only applies to married women	Unmarried women are also covered
Gestational Age Limit	20 weeks for all indications	24 weeks for rape survivors Beyond 24 weeks for substantial fetal abnormalities
Medical practitioner opinions required before termination	One RMP till 12 weeks Two RMPs till 20 weeks	One RMP till 20 weeks Two RMPs 20-24 weeks Medical Board approval after 24 weeks
Breach of the woman's confidentiality	Fine up to Rs 1000	Fine and/or Imprisonment of 1 year

- सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता की पुष्टि करते हैं। न्यायालयों ने बलात्कार के मामलों में गर्भपात के अधिकार को मान्यता दी और प्रजनन वकिलप को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक घटक के रूप में स्वीकार किया।

## नोट:

न्यायमूर्त के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ और अन्य (2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में प्रजनन वकिलप चुनने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को मान्यता दी, जो कि प्रजनन अधिकारों के संबंध में एक ठोस कानून का प्रावधान करता है, इसका आशय यह है कि डॉक्टरों को गर्भपात करने के अधिकार और महिलाओं को गर्भपात कराने के मौलिक अधिकार एक समान नहीं हैं, इसकी कुछ शर्तें भी हैं।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-allows-termination-of-pregnancy-for-rape-survivor>